<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक 17.04.2017 को पारित किया गया)

- आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषिसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 283 भा.द.
 स. के आरोप में दोषिसद्ध घोषित किया जाता है ।
- 2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दिण्डत किया जाता है

धारा	्रका रावास ४	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
283 भा.द.स. कु	ुछ नहीं।	200 / - रुपये	5 दिवस

3. प्रकरण में जप्त वाहन कमांक एम.पी.—07—जी.ए.2651 आरोपी से जप्त हुआ है। अतः आरोपी द्वारा पांच लाख रूपये का स्वयं का बंधपत्र धारा 452 दप्रस के अधीन इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया जाये कि प्रकरण में अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के समक्ष वह वाहन को प्रस्तुत कर देगा। जप्त वाहन आरोपी को प्रदान किया जाये।

सही/-

भोपेश पर्ग जोहर जिला भिण्ड